बिहार सरकार
परिवहन विभाग
परिपत्र

पत्रांक–06/विविध (स्पीड गवर्नर)–16/2015 परि0 3020 पटना, दिनांक– 8/6/17

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना सं0–290(अ) दिनांक–15.04.2015 तथा अधिसूचना सं0–424 (अ) दिनांक–01.05.2017द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली–1989 के नियम–118 के अधीन 01 अक्टूबर, 2015 को या उससे पूर्व निबंधित परिवहन वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण (Speed Limiting Devices)लगाने प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा एतद हेतु दिशा निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में गति नियंत्रक उपकरण/Speed Limiting Devices(SLD)/ Speed Governor लगाये जाने हेतु निम्नाकिंत निर्देश जारी किये जाते है :–

1. ऐसे किसी यान, जिसमें उपर्युक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार SLDलगाने की बाध्यता है, में यह लगाया जायेगा।

2. प्रत्येक SLDकेन्द्रीय मोटर यान नियमावली के नियम–126 के अन्तर्गत किसी अधिकृत परीक्षण अभिकरण (Agency) सेType Approvedहो, जो निम्न है:–

(i) Automotive Research Association of India (ARAI).
(ii) Central Institute of Road Transport (CIRT).
(iii) International Centre for Automotive Technology (ICAT).
(iv)Vehicle Research & Development Establishment (VRDE)

3.Type Approval Certificate AIS: 018/2001, AIS:037/2004और AIS:004/1999(भाग–3)के अनुरूप हो एवं समय समय पर यथासंशोधित ।

4. SLDनिर्माता कंपनी को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट एजेन्सी/अभिकरणों में से किसी एक अभिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवंSLDके मूल्य (प्रतिष्ठापन शुल्क सहित) के साथ राज्य के अन्दर बिक्री हेतु राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना से अनुमति पत्र प्राप्त करना होगा। राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना कोई भी SLDनिर्माता कंपनी राज्य के अन्दर अपने उत्पाद की बिक्री नहीं करेगीं।

5. टाईप एप्रुवल हेतु SLDविनिर्माता राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय को आवेदन देगा, जिसमें टाईप एप्रुवल प्रमाण पत्र (Type Approval Certificate) की प्रतिलिपि सैंपल सहित, SLD के अलग–अलग मॉडल (वैरियन्ट)वार और उत्पादन की मान्य सादृश्यता (Conformity Of Production) के विवरण हो।

6. प्रत्येक परिवहन यान के मॉडल (वेरिएंट) अनुसार टाईप एप्रुवड SLDलगाना अनिवार्य है। दूसरे मॉडल/वेरिएंट का SLD जो उक्त मॉडल हेतु एप्रुवड है, नहीं लगा होना चाहिए ।

7. विनिर्माता द्वारा प्रत्येक SLD पर वाहन का पंजीयन क्रमांक उत्कीर्ण (Engrave)किया जायेगा।

8. प्रत्येक वाहन में SLD को विनिर्माता द्वारा विशिष्टपहचान नम्बर देना होगा।

9. SLD केविशिष्ट पहचान नम्बर के साथ–साथ वाहन का चेसिस नम्बर, ईजन नम्बर आदि VAHAN DATABASE पर अपलोड करना होगा।

10. वाहनों में SLD को प्रतिष्ठापन (Installation) के समय ही सील किया जा सकेगा।

11. SLDके विनिर्माताओं/प्राधिकृत एजेन्सियों को प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) रखना होगा। यानों में प्रत्येकSLDके लगाये जाने के पश्चात् MISडाटाबेस में सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ कर उसकी रिपोर्ट वाहन की फिटनेस होने के पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय को प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगी:–

(a) SLDका विशिष्ट पहचान नम्बर
(b) वाहन क्रमांक
(c) वाहन का मॉडल (वैरियन्ट)
(d) SLDका टाईप एप्रुवल प्रमाण पत्र
(e) SLDलगाये जाने के दौरान वाहन का फोटोमय पंजीयन क्रमांक तथा SLD लगाये जाने के बाद का फोटो।
(f) प्रमाण पत्र पर क्यू0आर0कोड का अंकन।

12. फिटमेंट प्रमाण पत्र पर जो क्यू0आर0 कोड अंकित किया जायेगा, उसे ही स्कैन करने पर निम्नलिखित सूचनाएं प्रदर्शित होना आवश्यक है –

(a) फिटमेंट प्रमाण पत्र क्रमांक
(b) SLDक्रमांक
(c) वाहन नम्बर
(d) वाहन का मॉडल (वैरियन्ट)
(e) चेसिस नम्बर
(f) SLDका टाईप एप्रुवल क्रमांक
(g) SLDफिटमेंट दिनांक
(h) रोटो सीलक्रमांक
(i) SLD में फीड की गयी स्पीड लिमिट

13. वाहनों में निर्धारित मानक (100mmx60mm)का बारकोड युक्त स्टीकर (सामने वाले वीन्ड स्क्रीन के उपरी भाग के बांयी तरफ) तथा अंदर से गति सीमा को दशाने हेतु वृताकार 55mm का लगाया जाएगा, जिसमें निम्न सूचनाऍं होंगी:–

(i) ट्रैड मार्क/विनिर्माता का प्रतीक चिन्ह
(ii) विनिर्माता द्वारा एसाईन्ड सिरियल नम्बर
(iii) अधिकृत परीक्षण अभिकरण (एजेन्सी) द्वारा टाईप एप्रुवडAlphanumeric Number

14.वाहन में लगे SLD में छेड़छाड़ पायी जाती है, तो वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।ऐसे मोटरयानों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 53 के तहत् निबंधन निलंबन की कार्रवाई की जायेगी ।

15. वाहनों को फिटनेश प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विधिमान्य SLD लगा है। यदि कोई छेड़छाड़ पायी जाती है तो विनिर्माता को दिये गये एप्रुवल सर्टिफिकेट वापस दिया जा सकेगा।

16. अनुमति प्राप्त विनिर्माता कंपनी द्वारा जिस जिले में डीलर/वितरक नियुक्त किया जाएगा, डीलर/वितरक के पूरा पते के साथ उसकी सूचना संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को दी जाएगी। डीलर/वितरक द्वारा वाहनों में निर्धारित मानक का SLD लगाया जाएगा एवं लगाये जाने के पश्चातAIS: 018/2001, AIS:037/2004और AIS:004/1999 मानक अनुसार रोटोसील किया जायेगा। तत्पश्चात फिटमेंट प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

17. फिटमेंट प्रमाण पत्र के नवीकरण के समय, SLDके संतोषजनक प्रदर्शन को सुनिश्चित किये जाने के लिए SLDविनिर्माता द्वारा जारी विशेष वर्ष का कैलीब्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वाहन स्वामी के लिए अनिवार्य होगा।

18. फिटनेश प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आये वाहनों एवं उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में अक्षम वाहनों संबंधी त्रैमासिक प्रतिवेदन राज्य सरकारों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायलय की सड़क सुरक्षा समिति को समर्पित की जाएगी।

19.SLD के संबंध में दिये गये निर्देशों की समीक्षा कर समय–समय पर निर्देश जारी किया जाएगा।

अपर सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 06/विविध(स्पीड गवर्नर)–16/2015 3020 पटना, दिनांक– 8/6/17

E-mail

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/ सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 06/विविध(स्पीड गवर्नर)–16/2015 3020 पटना, दिनांक– 8/6/17

प्रतिलिपि–(i) आई0टी0 मैनेजर परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ii) पद्धति विश्लेषक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 06/विविध(स्पीड गवर्नर)–16/2015 3020 पटना, दिनांक– 8/6/17

E-mail

प्रतिलिपि– सभी राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश के परिवहन आयुक्त/सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, 1, संसद मार्ग, परिवहन भवन, नई दिल्ली –110001/S.D. Banga, Secretary , Committee on Road Safety, R.No-222-A, Vigyan Bhawan Annexe, Maulana Azad Road, New Delhi-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना